लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1533
दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा श्रमिकों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

1533. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हथकरघा श्रमिकों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन बर्षों के दौरान संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हथकरघा श्रमिकों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में हथकरघा श्रमिकों के उत्थान और विकास के लिए अतिरिक्त अनुदान सहायता जारी करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): वस्त्र मंत्रालय हथकरघा कामगारों के लिए कोई भी केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना (सीएसएस) कार्यान्वित नहीं कर रहा है। हालाँकि, वस्त्र मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली सहित पूरे देश में निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, उत्पाद एवं डिजाइन विकास, तकनीकी तथा सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहायता, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण एवं सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत, मंत्रालय लाभार्थियों के दरवाजे तक यार्न की ढुलाई के लिए परिवहन सब्सिडी तथा कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न एवं प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी भी प्रदान करता है।

*****